स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

पत्रांक............/जि0आ0,दिनांक............/.........../2013

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
आपदा प्रबंधन,
किशनगंज।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
दिघलबैक।

विषय :: अनुग्रह अनुदान भुगतान करने संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि दिघलबैक अंचल के द्वारा संधारित अभिलेख संख्या– 01/2009–10 के द्वारा मृतक ताला सोरेन, पिता–स्व0 जेठा सोरेन, सा0–लोहागाड़ा, दिघलबैक की मृत्यु सिंन्दरा नदी में डुबकर होने के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु अभिलेख स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है। जिसमें मृतक का अन्तवीक्षा (Postmotom) नही कराये जाने की सूचना अभिलेख में अंकित है।

मृतक की पत्नि मोसमात लक्खी किस्कु के द्वारा पति स्व0 ताला सोरेन का अन्तर्विक्षा प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया गया है। लेकिन अभिलेख संधारण के समय मृतक का अन्तंविक्षा प्रतिवेदन किस परिस्थिति में उपलब्ध नही हो सका, जो समझ से परे है।

अतः आवेदिका के द्वारा समर्पित अन्तर्विक्षा (Postmortam) प्रतिवेदन की प्रति एवं अभिलेख संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त विन्दुओं पर जांच कर विस्तृत जांच प्रतिवेदन के साथ अभिलेख स्वीकृति हेतु अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:- अभिलेख सं0 01/2009-10
सभी कागजात सहित
2) अन्तर्वीक्षा प्रतिवेदन (Postmortam)

विश्वासभाजन,

ह0/–

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला आपदा प्रबंधन,
किशनगंज।

ज्ञापाक.........95........./ जि.आ. दिनांक .....12/03/.....2013

प्रतिलिपि :: अनुमंडल पदाधिकारी,किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबंधक, (आई.टी. मैनेजर) किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/13

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला आपदा प्रबंधन,
किशनगंज।